

## कार्यालय छावनी परिषद् वाराणसी

### पब्लिक नोटिस

सर्वसाधारण को ऐतद् द्वारा सूचित किया जाता है की सक्षम प्राधिकारी द्वारा छावनी क्षेत्र स्थित सभी प्रकार के रिहायशी बंगलों में सभी प्रकार किए व्यवसायिक गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित है।

अतः छावनी क्षेत्र में रहने वाले एच0ओ0आर0/कब्जेदार/किरायेदार द्वारा रिहायशी बंगलों में किये जा रहे अवैध व्यवसायिक गतिविधियों जैसे दुकान का संचालन/गोदाम/रेस्टोरेंट/गाड़ी मरम्मत हेतु गैरेज/पार्किंग संचालित/मछली पालन आदि को तत्काल प्रभाव से बन्द कर देवें अन्यथा छावनी अधिनियम, 2006 में दिये गये प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

आकाँक्षा तिवारी

(आकाँक्षा तिवारी)

मुख्य अधिशासी अधिकारी,  
छावनी परिषद् वाराणसी।